रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/ माघ 9—माघ 15, 1938
No. 5] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/ MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2016

का.आ. 236.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का॰आ॰ 3503 दिनांक 26 सितंबर, 2005 का अधिक्रांत करते हुये सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या करने का लोप किया गया है, श्री एल.ए. पटेल, मामलतदार, आनंद (रुरल), जिला आनंद (गुजरात) जो भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, उनको अपने कार्यभार के साथ भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड की सेंट्रल इंडिया रिफाइनरी परियोजना से संबंधित वाडिनार (गुजरात) से बीना (मध्य प्रदेश) तक की देशव्यापी क्रूड पाइपलाइन के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त अधिनियम, के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर, प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-31015/1/07-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

3. On perusal of the case record it is found that none appeared before the court on behalf of the workman/union after 30.01.2008. Thereafter 11 dates have been granted. Registered notices were also issued on 19.03.2009, 19.03.2012 & 09.08.2016 but to no effect. Last two notices have been returned by the Post Office with the remarks "Left" the address. But neither the union nor the workman has informed the court about their new address.

4. It seems that neither the workman nor the union is interested to proceed with the case further. The case is also very old – of the year 1994. So there is no reason to keep this old case pending without any result. As such this old case is closed and accordingly a **'No Dispute Award'** is hereby passed.

ORDER

Let an "Award" be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

का.आ. 243.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"बांकुरा जिले, पश्चिम बंगाल राज्य के संपूर्ण क्षेत्र" ।

[सं. एस-38013/01/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 25th January, 2017

S.O. 243.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

"All the areas of the District Bankura, West Bengal."

[No. S-38013/01/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

का.आ. 244.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

राज्य	जिला	राजस्व केन्द्र
असम	नलगबाड़ी	नलगबाड़ी नगरपालिका बोर्ड

[सं. एस-38013/02/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव